डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण		गायड़राम पुत्र पोकरराम जाति राईका सा.देह

मु0न0 :रा. वादपत्र स0: 114/2023

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–........ व हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा–बलुपुरा पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण, जिसका खसरा नम्बर 108/1 कुल रकबा 0.1700 किस्म बारानी दोयम में से **अकृषिक प्रयोग लिए गए 0.05534 हेक्टेयर रकबे** को खातेदारी से विलोपित करते हुए खातेदार के कुल रकबे में से कम किया जाकर सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेते हुए मौके पर निर्मित अकृषिक संरचनाओं को भौतिक रूप से बेदखल करें तथा इस आदेश का भू–अभिलेख में अमल दरामद करें।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18.11.2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	0.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	0.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	0.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।